

समर इन्टर्नशिप प्रोग्राम - 2011-12

1. नाबार्ड का समर इन्टर्नशिप प्रोग्राम, छात्रों को नाबार्ड के प्रमुख क्षेत्रों - नामतः ग्रामीण विकास, बहुउद्देशिय परियोजनाएं, ग्रामीण बैंकिंग, संस्थागत विकास आदि क्षेत्रों तक पहुंच और अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है.
2. इस योजना का उद्देश्य अच्छी शिक्षा रिकार्ड रखनेवाले प्रतिभाशाली छात्रों को नाबार्ड के विजन और मिशन से संबंधित उपयोगी कार्यों/परियोजनाओं का कार्य सौंपना है.
3. प्रायोजक संस्थाओं का चयन निम्नानुसार होगा :-
 - i. शैक्षणिक, सामान्य प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलाप, बैंकिंग, कृषि, कृषि व्यवसाय, ग्रामीण विकास और संबद्ध कार्यों से जुड़े हुए कृषि विश्वविद्यालयों या प्रबंध संस्थानों .
 - ii. विधि पाठ्यक्रम और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करानेवाले संस्थान/विश्वविद्यालय
 - iii. छात्रों का चयन, चयन समिति द्वारा संस्थान की विजिट कर कैम्पस द्वारा किया जाएगा अथवा प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा छात्रों/शिक्षा संस्थानों की छात्र प्लेसमेन्ट समिति से प्राप्त आवेदनपत्रों के आधार पर उन्हें शोर्टलिस्ट/साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा.
4. छात्रों के चयन हेतु प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं :-
 - i. कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, विकास अध्ययन, विधि, बैंकिंग और प्रबंधन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के अच्छी शिक्षा रिकार्ड रखनेवाले छात्र.
 - ii. बायोडाटा के आधार पर, पात्र छात्रों को साक्षात्कार के लिए शोर्टलिस्ट किया जाएगा. चयन समिति, छात्र के समग्र शिक्षा रिकार्ड, एप्टिट्यूड और रूचि को ध्यान में रखेगा.
5. नाबार्ड से संबंधित अर्थशास्त्र, बैंकिंग, कृषि, और ग्रामीण विकास में विषयवस्तु के चयन पर फोकस किया जाएगा. चयन समिति द्वारा राष्ट्रीय /नाबार्ड से संबंधित प्रमुख विषयों को अध्ययन हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा.
6. योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित वित्तीय लाभ अनुमोदित किए गए हैं :-
 - i. चयनित छात्रों को सौंपे गए कार्य की समग्र अवधि के दौरान कुल रु. 8000/- का प्रति माह स्टाइपेन्ड दिया जाएगा.
 - ii. फील्ड विजिट हेतु प्रति दिन रु. 500/- का फील्ड विजिट भत्ता दिया जाएगा जिसमें रहने, खाने, यात्रा व्यय आदि के सभी व्यय शामिल हैं. सौंपे गए कार्य की समग्र अवधि के दौरान फील्ड विजिट के अधिकतम दिनों की संख्या 30 है.

- iii. क्षेत्रीय कार्यालय में ज्वाइन करने हेतु और फील्ड विजिट पर आने और जाने हेतु छात्र को वास्तविक आधार पर एसी 3 टियर/बस किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी. जहाँ पर एसी 3 टियर उपलब्ध नहीं है, वहाँ एसी 2 टियर की अनुमति दी जा सकती है.
- iv. परियोजना के संतोषजनक पूर्ण हो जाने पर, छात्र को मौद्रिक लाभ (Monetary benefits) नामतः स्टाइपेन्ड, फील्ड विजिट भत्ता जारी किया जाएगा.

7. चयनित छात्रों को नाबार्ड को वचन देना होगा कि सौंपे गए कार्य की उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उसके विश्वविद्यालय/संस्थान को छोड़ कर किसी का भी कोई हक/दावा नहीं होगा तथा बैंक जैसा भी चाहे उसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है.

8. छात्रों को यह भी वचन देना होगा कि वे कार्य की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और योजना के अंतर्गत सौंपे गए कार्य करते समय उनके संज्ञान में आई गोपनीय जानकारी का उपयोग किसी अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जाएगा.

9. उक्त इन्टर्नशिप में रूचि रखनेवाले मुंबई के छात्र अपना बायोडाटा hrdd@nabard.org. पर भेजें. क्षेत्रीय कार्यालयों में (सभी राज्यों की राजधानी में स्थित) इन्टर्नशिप करने के लिए इच्छुक छात्र अपना बायोडाटा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के निम्नलिखित ई-मेल पते पर प्रेषित करें :

राज्य का नाम@nabard.org.

उदाहरणार्थ - hyderabad@nabard.org. , bhopal@nabard.org.

chandigarh@nabard.org. आदि

अपने बायोडाटा सहित छात्र उनके द्वारा जिस विषय/क्षेत्र में इन्टर्नशिप करना चाहते हैं, उसका भी उल्लेख करें. बायोडाटा एक ही ई-मेल पते/कार्यालय पर भेजा जाए.

10. कार्यक्रम की समय सीमा

आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख

-

28 फरवरी 2011

इन्टर्नशिप की अवधि 8-12 सप्ताह होगी

-

अप्रैल से अगस्त 2011